उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो ।

(जिला नजारत शाखा)

–::अति अल्पकालीन निविदा::–

सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक– 3488/रा0, दिनांक– 24.04.2015 एवं पत्रांक– 4238/रा0, दिनांक– 02.09.2015 द्वारा बोकारो परिसदन के रख–रखाव एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाना हैं।

वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु बोकारो परिसदन के सभी कमरों तथा सम्पूर्ण परिसर की देख भाल एवं वार्षिक रख–रखाव के लिए किसी संस्थान/प्रतिष्ठान में कैटरिंग/हाउस कीपिंग का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव रखने वाले निविदादाता से उल्लेखित शर्तों के अधीन दर निर्धारण हेतु दो लिफाफा प्रणाली के अनुसार अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता हैं। प्रथम लिफाफा में निविदादाता का वार्षिक टर्नओभर एवं कर संबंधी स्वच्छता कागजात आदि रहेगा तथा दूसरे लिफाफा में उपरोक्त सेवा देने के एवज में मासिक राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हो। इच्छुक निविदादाता दिनांक–20-8-19 को 1-00 अपराह्न तक जिला नजारत शाखा, बोकारो में रखे गए सील बंद बॉक्स में निविदा सभी वांछित कागजातों के साथ समर्पित कर सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को दिनांक– 20-8-19 के 3-00 अपराह्न से निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में निविदा खोला जायेगा।

–:निविदा की शर्तें:–

1. बोकारो परिसदन के दोनों भवनों के सभी कमरों, प्रसाधन गृहों, रसोई घर सहित पूरे परिसर की साफ–सफाई शामिल होगी।
2. हाउस कीपिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :–
   (क) जिला अतिथि गृहों में लगें किसी भी प्रकार के एवं सभी इलेक्ट्रिक (विद्युत) उपकरणों, वातानुकूलित यंत्रों एवं जलापूर्त्ति का रख–रखाव एवं मरम्मति।
   (ख) परिसदन भवनों के कमरों एवं रसोई घर के फर्नीचर, उपस्कर आदि का रख–रखाव एवं मरम्मति।
   (ग) बोकारो परिसदन के दोनों भवनों में ठहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा– साबुन, शैम्पू, तेल, टॉयलेट पेपर आदि की आपूर्त्ति।
   (घ) बेडसीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया, कम्बल, रजाई, तौलिया आदि की आपूर्त्ति एवं अनुश्रवण जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा, किन्तु अनुरक्षण, साफ–सफाई एवं धुलाई का कार्य चयनित निविदादाता के द्वारा किया जायेगा।
3. अतिथियों के लिए चाय, नाश्ता, भोजन आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्धारित दर तालिका के आधार पर ही किया जायेगा।
4. बोकारो परिसदन के भवनों में भोजन, नास्ता, चाय आदि से होने वाले आय–व्यय का अधिकार संचालक का होगा। भोजनादि के गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा।
5. अतिथि गृहों में कमरों का आरक्षण का कार्य पूर्णतः जिला प्रशासन द्वारा ही किया जायेगा एवं किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजाने में जमा की जायेगी।
6. अतिथि गृहों के संचालन व्यवस्था की निगरानी हेतु केयर टेकर की प्रतिनियुक्ति जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी। उक्त केयर टेकर संचालक के कर्मियों एवं श्रमिकों के अतिथियों के प्रति व्यवहार एवं सामान्य आचरण पर कठोर निगरानी रखेंगें।
7. विधि व्यवस्था एवं प्रोटोकॉल के मद्देनज़र संस्था/एजेन्सी द्वारा किसी भी व्यक्ति को परिसदन भवन में कमरा आवंटन नहीं किया जायगा। आवश्यकता पड़ने पर जिला नजारत उप समाहर्त्ता, बोकारो से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।